न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलेक्टर टोडाभीम, जिला करौली

मु.नं.:– 86/2024

तारीख रजू :– 24.09.2025

पीठासीन अधिकारी :– श्री अमन चौधरी आर.ए.एस.

उनवान

1. बदरी प्रसाद पुत्र प्रभू
2. रामचरण पुत्र प्रभू
3. सियाराम पुत्र प्रभू

समस्त जाति मीना निवासी सादपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली (राज0)

प्रार्थी

बनाम

1. राजेश कुमार पुत्र चेतराम मीना निवासी सादपुरा तहसील टोडाभीम, जिला करौली
2. तहसीलदार तहसील टोडाभीम जिला करौली (राज0)

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1 अभिभाषक प्रार्थी :– श्री राजकुमार राजावत एडवोकेट

2 अभिभाषक अप्रार्थी – श्री मदन मोहन शर्मा एडवोकेट

निर्णय दिनांक– 24.02.2026

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम खोहरा, पटवार हल्का खोहरा, तहसील टोडाभीम के नवीन खाता संख्या 321 में दर्ज भूमि खसरा नम्बर 1608 रकवा 0.45 है0 खसरा नम्बर 2186 रकवा 1.24 है0 कुल किता 2 कुल रकवा 1.69 है0 आराजी में सायलान शांतिपूर्वक बिना किसी व्यवधान के काश्त करता चला आ रहे है। सायलान के कब्जे की भूमि से गैरसायलान का कोई संबंध किसी प्रकार से नही है। सायलान की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने की फिराक में रहता है। जबकि गैरसायला नम्बर 1 का उक्त भूमि से किसी प्रकार का कोई संबध नहीं है।

घटना दिनांक 11.09.2025 है कि सायलान अपने कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि खसरा नम्ब्र 1680 की भूमि खसरा नम्बर 1608 रकवा 0.45 है0 खसरा नम्बर 2186 रकवा 1.24 है0 कुल किता 2 कुल रकवा 1.69 है0 स्थित ग्राम खोहरा तहसील टोडाभीम जिला करौली (राज0) में आगामी फसल की तैयारी करने के लिये गये थे कि अचानक गैरसायलान नम्बर 1 अपने साथ ट्रेक्टर ट्रॅाली में बजरी पत्थर भरकर मौके पर आया और गैरसायालन को सायलान की खातेदारी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

भूमि से बेदखल करने के लिये कहा व डौल मेंड को तौडने लगे। सायलान के पत्थर व बजरी को उखाडकर सायलान के खेतो में डाल दिया तथा उक्त आराजीयात में सायलान की पानी की पाईप लाईन व उसकी बैण्ड लगा हुआ और उसको तोडने पर उतारू हो गया और कहने लगा कि उक्त जमीन पर मैं कब्जा कर के ही रहुँगा तथा मैं अपने बाजरे की फसल की कड को तुम्हारे जमीन पर पानी की लाईन पर लगा दुंगा। यदि तुमने कब्जा नही करने दिया तो तुम्हें चोरी एवं बलात्कार, जैसे गम्भीर मुकदमों में फसा देंगें और जान से खत्म कर देंगे। सायलान ने ऐसा अन्याय नही करने का निवेदन किया और कहा कि भाईयों यह भूमि तो हमारी खातेदारी की भूमि है तथा हमारा जमाने बुजुर्गान से कब्जा चला आ रहा है। तुम जबरदस्ती कब्जा क्यों करना चाहते हो लेकिन गैरसायालन नम्बर 1 नही माना और सायलान के साथ झगडा करने लगा तो सायलान ने समाज के लोगों से उन्हें समझवाया लेकिन गैरसायालन नम्बर 1 नहीं माना। यदि गैरसायलान नम्बर 1 अपनी उक्त गैरकानूनी कुचेष्टा मे कामयाब हो गया तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पुर्ति इन टमर्स ऑफ मनी भी पूरी नहीं की जा सकेगी जिस कारण सायलान को यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ गैरसायलान पेश करना लाजमी हुआ।

सायलान का प्रामईफेसी केस बखूबी साबित है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का सिद्वान्त भी सायलान के पक्ष में है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से गैरसायलान को कोई क्षति किसी प्रकार की नहीं है, जबकि अस्थाई निषधाज्ञा जारी नहीं होने से सायलान को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी, जिसकी पूर्ती किसी भी प्रकार दृव्य में भी संभव नही हो सकेगी।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को ता फैसला दावा इस अम्र से पाबंदी फरमाया जावे कि गैरसायलान भूमि खसरा नम्बर 1608 रकवा 0.45 है0 खसरा न2186 रकबवा 1.24 है0 कुल किता 2 कुल रकवा 1.69 है0 स्थित ग्राम खोहरा तहसील टोडाभीम जिला करौली में सायलान के कब्जे काश्त मे ना तो स्वयं मजाहमत मदाखलता पैदा करे, ना ही किसी अन्य से करावे तथा भूमि में किसी प्रकार का निर्माण कार्य ना तो स्वयं करे ना ही किसी अन्य से कराये तथा भूमि को नाकाबिल काश्त नही बनावे। सायालन को अपने खातेदारी की भूमि को शान्तिपूर्वक काश्त करने देवे। सायलान को

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

बेदखल नहीं करें। गैरसायालन ऐसा कार्य नही करें। जिससे सायलान व सायलान की हितों पर विपरीत प्रभाव पडता हो। मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे। गैरसायालन नम्बर 2 उक्त भूमि का किसी के नाम कोई भी दस्तोवज पंजीबद्व नही करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज कर प्रतिवादीगण को नोटिस जरिये तलब किया गया। प्रतिवादीगण 1 की तरफ से श्री मदन मोहन शर्मा एडवोकेट ने उपस्थिति दर्ज कराई एवं प्रतिवादीगण 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थीगण द्वारा अधिकतर मद अस्वीकार किये गये है। एवं विशेष विवरण में बताया कि आराजी खसरा नम्बर 1609 रकबा 0.25 है0 स्थित ग्राम खोहरा तहसील टोडाभीम जिला करौली (राज0) में स्थित है। गैरसायला की बुजुर्ग बस्सी देवी पत्नी हरसाय के नाम हिस्सा 4/5 हिस्सा की खोतदार काश्तकार रही है, उसके वारिसान गैरसायलान नम्बर 1 है। हमारे घरू बॅटवारे में खसरा नम्बर 1609 रकवा 0.25 है0 हमारे हिससे में आया जिस पर गैरसायालन नम्बर 1 का कब्जा काश्त है। और गैरसायल नम्बरा 1 उक्त खसरा नम्बर फसल दर काश्त करता चला आ रहा है। सायलान का उक्त जमीन से कोई वास्ता नहीं है।, उसके वाद भी सायलान जबरदस्ती हमारी डौल मेंड को काट कर हमे परेशान करते हैं एवं हमारी डौल मेंड में खसरा नम्बर 1609 की तरफ पुख्ता दीवार कर डौल मेंड को टेडी कर हमारे खसरा नम्बर में अतिक्रमण कर रहे हैं। गैरसायलान नम्बर 1 के परिवार के रेवती, रामेश्वर, द्वारका प्रसाद एवं अन्य हिस्सेदार भी है जिनका हिस्सा भी खसरा नम्बर 1609 में है। गैरसायलान एवं परिवार में ओर भी लोग हैं परन्तु बट में गैरसायालन नम्बर 1 की मॉ के हिस्से में आया है। सायलान ने झूॅठा दावा पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

खसरा नम्बर 1609 रकवा 0.25 है0 आराजी के पूर्व दिशा की तरफ खसरा नम्बर 1608 सायल नम्बरा 1 ता 3 का खेत है। इस प्रकार खसर नम्बर 1609 एवं 1608 की नक्शा ट्रेस में बीच की दीवार एकदम सीधी दीवार है परन्तु सायल नम्बर 1 ता 3 लट्‌ठवाले एवं पैसे वाले लोग हैं जिन्होंने उक्त मौके पर खेत खसरा नम्बर 1608 की डौल मेंड को हमारे खसरा नम्बर 1609 में लगभग 20 फीट दे दिया और उसको सीमेन्ट बजरी से 20 फीट की पुख्ता दीवार कर जबरदस्ती लट्‌ठ के बल पर निर्माण कर सीमेन्ट के लट्‌ठे गाड दिये एवं हमारी बैंक पर पानी का पोईन्ट भी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

लगाकर जबरदस्ती अतिक्रमण कर लिया इस प्रकार मौके पर खसरा नम्बर 1609 की दीवार को सीधी की जावे एवं गैरसायालन द्वारा किये अतिक्रमण को हटाया जावे। हाल नक्शे में दर्शित मौके पर गैरसायलान की खसरा नम्बर 1609 की मेंड को सीधी करवाया जावे जिसको सायल नंबर 1 ता 3 ने हाल में अतिक्रमण किया है। इस प्रकार सायल नम्बर 1 ता 3 ने खसरा नम्बर 1608 की एवं 2186 के बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया है वह गलत किया है। गैरसायलान की खसरा नम्बर 1609 की भूमि को हडपने की गरज से झूँठा केस दिया है।

खसरा नम्बर 1609 की भूमि से सायल नम्बर 1 ता 3 का कोई वास्ता नहीं है और खसरा नम्बर 1609 एवं 1608 की बीच की मेंड एकदम सीधी है परन्तु सायल नम्बर 1 ता 3 ने दिनांक 08.09.2025 को जबरदस्ती लट्ठ के बल पर 1–1.5 फीट ऊची दीवार कर दी। सीमेन्ट के लट्ठ गाड दिये एवं पानी का पोईन्ट लगा कर जबरदस्ती कब्जा करने की नियत से ऐसा गैरकानूनी कृत्य किया है। गरीब गैरसायल नम्बर 1 की लगभग 20 फीट जमीन पर दीवार बना दी एवं 8–10 फीट जमीन को दबा लिया इस कारण सायलान के अतिक्रमण को हटाकर खसरा नम्बर 1609 की मेंड हाल ट्रेस के हटाया जावे एवं मौके पर सीमा ज्ञान किया जावें। इस प्रकार सीमा ज्ञान करवा कर गैरसायल नम्बर 1 की जमीन खसरा नम्बर 1609 में विवादित मेंड पर गैरसायलान नम्बर 1 का पीपल का पेड है उससे आगे भी खसरा नम्बर 1609 खेत की मेंड नक्शे में दिखाई दे रही है इस प्रकार खसरा नम्बर 1609 एवं 1608 की मेंड एकदम सीधी है। परन्तु सायलान ने जबरदस्ती अतिक्रमण किया है इस प्रकार खसरा नम्बर 1609 को अतिक्रमण मुक्त किया जावे।

वाका दिनांक 08.09.2025 का है कि सायल नम्बर 1 ता 3 ट्रेक्टर ट्राली में सीमेन्ट बजरी पत्थर चूना सीमेन्ट के खम्बे लेकर आये और आते ही उन्होंने जबरदस्ती खसरा नम्बर 1609 खेत में अतिक्रमण कर 1–1 फीट ऊची दीवार मौके पर कर दी एवं सीमेन्ट के लट्ठे गाड दिये, पानी का पाईन्ट लगा दिया, जबकि मौके पर खसरा नम्बर 1608 एवं 1609 की मेड लाईन एकदम सीधी है और पुख्ता निर्माण कर धमकी देने लगे कि यदि तुमने कोई कानूनी कार्यवाही की तो तुमको जान से खत्म कर देंगे। तुम्हारे खिलाफ झूठे मुकदमें बलात्कार, चोरी आदि केसों मे फसा देंगे। तुमने यदि पानी के पाईन्ट एवं दीवार से छेडछाड की तो पुलिस से साज कर तुम्हें बन्द करवा

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

देगे। सायलान राजनैतिक पहुँच के एवं पुलिस से साज करने में माहिर हैं, पैसे वाले लोग है इस कारण गैरसायलान की जमीन को हडपना चाहते है, जबकि हाल रिकॉर्ड ट्रेस में एकदम सीधी लाईन दर्शाई गई है और झूठा मुकदमा सायलान द्वारा माननीय न्यायलय उपजिला कलेक्टर में पेश कर दिया है, जो खारिज किये जाने योग्य है

प्रार्थना पत्र सायलान खारिज फरमाया जावे एवं खसरा नम्बर 1609 एवं 1608 की मेंड को नक्शे के अनुसार सीधा किया जावे एवं सायलान को पाबंद किया जावे कि खसरा नम्बर 1609 में दखलन्दाजी नहीं करें। उक्त प्रकार का आदेश जारी कर के सायलान प्रार्थना पत्र में अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष नहीं देकर खारिज किया जावे।

वकील उपभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी वकील ने कथन किया कि आराजी विवादित भूमि वादी के कब्जे काश्त की भूमि है तथा गैरसायल का इससे कोई लेना–देना नहीं है। खसरा नम्बर 609 से हमसे कोई मतलब नहीं है। खसरा नम्बर 609 बहुत सारे लोगों का है।

अप्रार्थी ने जबाव में कहा कि प्रार्थी ने गलत अस्थाई निषेधाज्ञा पेश की है। खसरा नम्बर 1608 व 1286 से अप्रार्थी का कोई लेना देना नहीं है मगर प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के सपोर्ट में कोई एक भी दस्तावेज पेश नहीं किये। अगर हमने कब्जा किया और लडाई की तो कोई एफ.आई.आर. क्यों नहीं की। बल्कि प्रार्थीगण ने हमारी जमीन पर कब्जा करके पक्की दीवार बना ली जिसके साक्ष्य फोटो पेश कर रहे है। इन्होने जबरदस्ती पोल गाड दिये है। हमने खसरा नम्बर 1608 में नहीं बल्कि इन्होने हमारे खसरे 1609 में कब्जा कर जबरदस्ती पोल गाड दिये है। राजस्व नक्शा ट्रेस में भी बीच की मेड लाईन सीधी है। इन्होने हमारी जमीन पर पक्का निर्माण किया है तथा कब्जा करना चाहते है। निवेदन है कि अतिक्रमण हटाकर इनकी अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज करे।

उक्त बहस व पत्रावली के दस्तावेजों के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु आवश्यक प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है तथा प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

न्यायालय-उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम, जिला-करौली

को कोई अपूर्णीय क्षति की संभावना नहीं है। अतः प्रार्थी के अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन को निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः सायलान एवं गैरसायलान अपनी–अपनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि पर काबिज है। प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बर 1608 रकवा 0.45 है0, 2186 रकवा 1.24 है0 कुल किता 2 कुल रकवा 1.69 है0 की खातेदारी सायलान के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत नहीं होना एवं प्रार्थी को कोई अपूर्णीय क्षति की संभावना नहीं होने से प्रार्थी प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 24.09.2025 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को प्रत्याहरित (विड्रो) किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर रहे।

निर्णय आज दिनांक ....24-02-2026..... को लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया

(अमन चौधरी R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली